भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3950

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

राष्ट्रीय अवसंरचना विकास बैंक

3950. श्री विष्णु दयाल राम:
डॉ. के. सुधाकर:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय अवसंरचना विकास बैंक की स्थापना के उद्देश्य क्या है;
(ख) क्या उक्त बैंक में धनराशि डाली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि डाली गई है;
(ग) क्या परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) दीर्घकालिक अवसंरचना के लिए संस्वीकृति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की स्थापना वर्ष 2021 में संसद के एक अधिनियम (राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021) द्वारा की गई थी।
संस्थान के विकासात्मक और वित्तीय दोनों उद्देश्य हैं, जैसा कि अधिनियम में निर्दिष्ट है, निम्नानुसार है:-
संस्थान का विकासात्मक उद्देश्य, भारत में या भारत के बाहर, केंद्रीय और राज्य सरकारों, विनियामकों, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और ऐसे अन्य सुसंगत हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा, ताकि घरेलू बॉड और डेरिवेटिव मार्किट सहित भारत में दीर्घकालिक गैर-आश्रित अवसंरचना के वित्तपोषण के विकास का समर्थन देने के लिए सुसंगत संस्थानों के निर्माण और सुधार को सुगम बनाया जा सके।
संस्थान का वित्तीय उद्देश्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उधार देना या निवेश करना और भारत में, या आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित अवसंरचना परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से निवेश आकर्षित करना होगा, ताकि भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

(ख): भारत सरकार ने इस इकाई में इक्विटी के रूप में 20,000 करोड़ रुपये और अनुदान के रूप में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

(ग), (घ) और (ड.): जैसा कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक द्वारा सूचित किया गया है, इकाई ने दिनांक 31.7.2025 तक की स्थिति के अनुसार, 2,30,626 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण राशि के साथ 232 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 1,74,872 करोड़ रुपये की 162 अवसंरचना परियोजनाएं 15 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए स्वीकृत की गई हैं।

*****